



-प्रेस नोट-

दिनांक:29.12.2025

थाना बडगांव पुलिस द्वारा गौकशी के मुकदमें मे 25,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित वांछित गौकश अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण:-

दिनांक 19.11.2025 को करेशन के आम के बाग के पास खुदाबक्शपुर नहर पुल ग्राम सिसोनी में पुलिस मुठभेड के दौरान शहजाद पुत्र याकूब निवासी ग्राम नन्हेडा बुड्ढाखेडा थाना नागल जिला सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया था तथा गय्यूर पुत्र असगर निवासी ग्राम हलगोया थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना बडगांव पर मु0अ0सं0 260/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम 1- शहजाद पुत्र याकूब निवासी ग्राम नन्हेडा बुड्ढाखेडा थाना नागल जिला सहारनपुर 2- गय्यूर पुत्र असगर निवासी ग्राम हलगोया थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/ईनामी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बडगांव श्री रमेश चन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बडगांव पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान मुकदमा उपरोक्त में 25,000/- रुपये के पुरस्कार घोषित **01 वांछित गौकश अभियुक्त गय्यूर पुत्र असगर निवासी ग्राम हलगोया थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर** को ग्राम हलगोया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1. गय्यूर पुत्र असगर निवासी ग्राम हलगोया थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 231/25 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना बडगांव, स0पुर
2. मु0अ0सं0 241/25 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना बडगांव, स0पुर
3. मु0अ0सं0 260/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बडगांव, स0पुर
4. मु0अ0सं0 209/23 धारा 379 भादवि थाना नागल, स0पुर
5. मु0अ0सं0 235/23 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना नागल, स0पुर
6. मु0अ0सं0 284/23 धारा 2/3 गोवध अधिनियम थाना नागल, स0पुर
7. मु0अ0सं0 298/24 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना रामपुर मनि0, स0पुर
8. मु0अ0सं0 158/05 धारा 307/323/324/452 भादवि थाना रामपुर मनि0, स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र सिंह थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
- 2- उ0नि0 श्री हितेश कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
- 3- उ0नि0 मौ0 कामिल थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
- 4- कां0 1569 अमरदीप थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
- 5- कां0 96 विक्रान्त थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
- 6- हो0गा0 2077 सतीश थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 29.12.2025

थाना साइबर क्राइम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गयी 1,54,142/- रुपये की धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

घटना का विवरण:-

दिनांक 17.06.25 को आवेदक श्री कमल किशोर शर्मा पुत्र वाचस्पति शर्मा, 6/6204, न्यू माधवनगर, विष्णु धाम, थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर द्वारा थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर उपस्थित आकर एक लिखित प्रार्थना पत्र बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी कर कुल 3,13,120/- रुपये की धनराशि ठगी कर लेने के सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर पर मु0अ0सं0 24/2025 धारा 318(4)बीएनएस, 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) एवं क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रेश सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक श्री कमल किशोर शर्मा पुत्र वाचस्पति शर्मा उपरोक्त की साइबर फ्रॉड के माध्यम से ठगी गयी धनराशि में से रु0 1,54,142/- की धनराशि पीडित के खाते में वापस करायी गयी। पीडित द्वारा धनराशि खाते में वापस पाकर सहारनपुर पुलिस व थाना साइबर क्राइम पुलिस का आभार प्रकट किया गया।

धनराशि वापस कराने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रेश सिंह, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
2. विवेचक निरीक्षक श्री संजय कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
3. है०का० 712 निशान्त तोमर, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
4. कां० 710 राकेश कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
5. कां० 99 अरुण कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजों से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 29.12.2025

थाना नकुड पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटनाओं का अनावरण करते हुए 02 वांछित चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर चोरी गयी 01 मोटरसाइकिल, 02 जोड़ी पाजेब सफेद धातु, 03 चांदी के सिक्के सफेद धातु, 03 जोड़ी बिछुवे सफेद धातु व 2500/- रुपये नकद बरामद

घटना का विवरण: -

1. दिनांक 18.12.2025 को वादी श्री श्री तौफीक आलम पुत्र श्री असरफ निवासी ग्राम कपूरी थाना नकुड जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा वादी की मो0सा0 चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना नकुड पर मु0अ0स0 591/25 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।
2. दिनांक 24.12.2025 को वादिया श्रीमती मिनाक्षी पत्नी स्व0 कुलविन्द्र उर्फ कल्लू नि0 ग्राम भैरमऊ थाना नकुड जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा वादिया एवं उसके पड़ौस के घर से सोने व चाँदी के जेवरात व 10,000 रुपये नकद चोरी कर ले जाने के संबंध में थाना नकुड पर मु0अ0स0 606/25 धारा 305(ए)/331(3) बीएनएस के पंजीकृत कराया था।

पुलिस कार्यवाही: -

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटनाओं का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमों में त्वरित कार्यवाही करते हुए **02 वांछित अभियुक्तगण 1. नीरज पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम भैरमऊ थाना नकुड जनपद सहारनपुर व 2. दीपक उर्फ दीप्पा पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम भैरमऊ थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को गंगोह बाईपास रोड से अम्बेहटी रोड पर बाग के सामने से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे/निशानदेही पर उपरोक्त मुकदमों से सम्बन्धित चोरी गया माल (01 स्प्लेन्डर प्लस मोटरसाइकिल, 02 जोड़ी पाजेब सफेद धातु, 03 चांदी के सिक्के सफेद धातु, 03 जोड़ी बिछुवे सफेद धातु व 2500 रुपये नकद) बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त शांतिर किस्म के अभ्यस्थ अपराधी हैं दोनों के विरुद्ध करीब 01-01 दर्जन मुकदमों में दर्ज हैं। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. नीरज पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम भैरमऊ थाना नकुड जनपद सहारनपुर,
2. दीपक उर्फ दीप्पा पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम भैरमऊ थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:

- 01 हीरो स्प्लेन्डर मोटरसाइकिल रंग काला रजि0 नं0 UP11BE 5268
- 02 जोड़ी पाजेब सफेद धातु,
- 03 चांदी के सिक्के सफेद धातु,
- 03 जोड़ी बिछुवे सफेद धातु
- 2500/- रुपये नकद

अभियुक्त नीरज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1.मु0अ0सं0 175/15 धारा 147, 447, 504, 506 भादवि थाना नकुड स0पुर
- 2.मु0अ0सं0 218/15 धारा 147, 148, 149, 379, 504, 506 भादवि थाना नकुड स0पुर
- 3.मु0अ0सं0 236/16 धारा 323, 325, 354, 504, 506 भादवि थाना नकुड स0पुर
- 4.मु0अ0सं0 412/20 धारा 147, 148, 323, 324, 452, 504, 506 भादवि थाना नकुड स0पुर
- 5.मु0अ0सं0 494/21 धारा 379 भादवि थाना नकुड सहारनपुर
- 6.मु0अ0सं0 504/21 धारा 380 भादवि थाना नकुड स0पुर,
- 7.मु0अ0सं0 40/22 धारा 398, 401 भादवि थाना नकुड स0पुर
- 8.मु0अ0सं0 42/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नकुड स0पुर
- 9.मु0अ0सं0 122/23 धारा 379, 411 भादवि थाना नकुड स0पुर
- 10.मु0अ0सं0 91/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नकुड स0पुर
- 11.मु0अ0सं0 606/25 धारा 305(a), 331(3), 317(2) बीएनएस थाना नकुड स0पुर

अभियुक्त दीपक उर्फ दीप्पा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1.मु0अ0सं0 94/23 धारा 380, 411 भादवि थाना को0मण्डी स0पुर
- 2.मु0अ0सं0 236/16 धारा 323, 325, 354, 504, 506 भादवि थाना नकुड स0पुर
- 3.मु0अ0सं0 46/20 धारा 323, 325, 498-A, 504 भादवि थाना नकुड स0पुर
- 4.मु0अ0सं0 141/20 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड स0पुर
- 5.मु0अ0सं0 23/21 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना नकुड स0पुर
- 6.मु0अ0सं0 231/21 धारा 380, 511 थाना नकुड स0पुर
- 7.मु0अ0सं0 40/22 धारा 398, 401 भादवि थाना नकुड स0पुर
- 8.मु0अ0सं0 41/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नकुड स0पुर
- 9.मु0अ0सं0 223/22 धारा 20 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड स0पुर
- 10.मु0अ0सं0 225/22 धारा 414, 465 भादवि थाना नकुड स0पुर
- 11.मु0अ0सं0 200/24 धारा 380, 411, 454 भादवि थाना नकुड स0पुर
- 12.मु0अ0सं0 423/25 धारा 109(1), 317(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नकुड स0पुर
- 13.मु0अ0सं0 606/23 धारा 305(a), 331(3), 317(2) बीएनएस थाना नकुड स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
2. उ0नि0 नीरज कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
3. है0का0 892 अजय राठी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
4. है0का0 258 अजीत सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
5. कां0 1259 विनीत थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,



दिनांक 29.12.2025

-प्रेस नोट-
“ऑपरेशन सवेरा”

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

**थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त
गिरफ्तार, कब्जे से कुल 44 ग्राम अवैध स्मैक (कीमत करीब 8,80,000/- रुपये) बरामद**

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन सवेरा” के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29/12/2025 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1. जुबैर पुत्र तासीन निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर व 2. जबरदीन उर्फ जबरुदीन पुत्र कमरुदीन निवासी ग्राम जन्धेडा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर हाल निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड सहारनपुर को नकुड-सहारनपुर रोड पर ग्राम सलारपुर से पहले स्थित निर्माणाधीन हाईवे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त जुबैर उपरोक्त से 21 ग्राम व अभियुक्त जबरदीन उर्फ जबरुदीन से 23 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 625/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण जुबैर व जबरुदीन उर्फ जबरदीन उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. जुबैर पुत्र तासीन निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर
2. जबरदीन उर्फ जबरुदीन पुत्र कमरुदीन निवासी ग्राम जन्धेडा समसपुर थाना रामपुर मनिहारन हाल पता ग्राम घाटमपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

➤ 44 ग्राम अवैध स्मैक

आपराधिक इतिहास अभियुक्त जबरुदीन उर्फ जबरदीन

1. मु0अ0सं0 330/18 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 318/2007 धारा 379/411 भादवि थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर

3. मु0अ0सं0 379/2005 धारा 506/511 भादवि व 3/8 गोवध अधि0 थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 124/17 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 अतुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1013 राहुल तोमर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. हे0का0 362 अमित पंवार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. का0 326 रिकू कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
6. का0 1929 जब्बाद थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 29-12-2025

थाना गंगोह, साइबर हेल्प डेस्क द्वारा साइबर ठगी के माध्यम से ठगे गये 10,000/- रुपये की धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस।

अवगत कराना है कि दिनांक 12.12.25 को शिकायतकर्ता श्री रजत चौधरी पुत्र रफल सिंह नि0 रन्धेड़ी थाना गंगोह स0पुर द्वारा आनलाइन फ्राड के माध्यम से कुल 10,000/- रुपये की धनराशि ठग लेने के सम्बन्ध में साइबर हैल्पलाईन वेबसाईट पर शिकायत सं0 33112250180598 दर्ज करायी गयी थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम हेतु जन-मानस को जागरूक करने व साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित थाना गंगोह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.12.25 को थाना गंगोह साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा पीडित रजत चौधरी पुत्र रफल सिंह निवासी ग्राम रन्धेड़ी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर की साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी कुल 10,000/- रुपये की धनराशि को विधिक कार्यवाही करते हुए स्टेट बैंक आफ इण्डिया के खाते में होल्ड कराकर पीडित के साथ हुई 10,000/- रुपये की साइबर ठगी की शतप्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में वापस करायी गयी। पीडित द्वारा ठगी गयी 10,000/- रुपये की शतप्रतिशत धनराशि खाते में वापस पाकर थाना गंगोह साइबर हेल्प डेस्क टीम का आभार व्यक्त किया गया।

पीडित का नाम व पता:-

रजत चौधरी पुत्र रफल सिंह निवासी ग्राम रन्धेड़ी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

साइबर हेल्प डेस्क टीम:-

1. निरीक्षक श्री उम्मेद कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 अतुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. कम्प्यूटर आपरेटर नमन शर्मा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 29-12-2025

**थाना गंगोह, साइबर हेल्प डेस्क द्वारा साइबर ठगी के माध्यम से ठगे गये 2,000/- रुपये
की धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस।**

अवगत कराना है कि दिनांक 04.12.25 को शिकायतकर्ता श्री सोनू पुत्र नरेशपाल नि0 ग्राम सलारपुरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर द्वारा आनलाइन फ्राड के माध्यम से कुल 2,000/- रुपये की धनराशि ठग लेने के सम्बन्ध में साइबर हैल्पलाईन वेबसाइट पर शिकायत सं0 33112250174525 दर्ज करायी गयी थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम हेतु जन-मानस को जागरूक करने व साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित थाना गंगोह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.12.25 को थाना गंगोह साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा **पीडित** श्री सोनू पुत्र नरेशपाल नि0 ग्राम सलारपुरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर की साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी कुल 2,000/- रुपये की धनराशि को विधिक कार्यवाही करते हुए कोटेक महिन्द्र बैंक के खाते में होल्ड करायी गयी। पीडित के साथ हुई 2,000/- रुपये की साइबर ठगी की शतप्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में वापस करायी गयी। पीडित द्वारा ठगी **गयी रकम** के 2,000/- रुपये की धनराशि खाते में वापस पाकर थाना गंगोह साइबर हेल्प डेस्क टीम का आभार व्यक्त किया गया।

पीडित का नाम व पता:-

श्री सोनू पुत्र नरेशपाल नि0 ग्राम सलारपुरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर

साइबर ठगी के रुपये वापस कराने वाली साइबर टीम:-

1. निरीक्षक श्री उम्मेद कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 अतुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. कम्प्यूटर ऑपरेटर नमन शर्मा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



दिनांक: 29.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा अवैध चाकू के साथ 01 अभियुक्त किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शस्त्र/अस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम यादव के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29.12.2025 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर **अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम पूजना थाना तीतरो जिला सहारनपुर** को दीपाखेड़ी रोड़ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 643/25 धारा 4/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अनिल कुमार पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम पूजना थाना तीतरो जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विवेक वैद्यवान थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
2. का0 1201 सत सिंह थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 29-12-2025

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा माल निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान
“ऑपरेशन क्लीन-2” के अन्तर्गत कुल 03 मुकदमों में 33 सिलेन्डर गैस
ऐजेन्सी को सुपुर्द कर नियमानुसार माल निस्तारण किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में माल निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन क्लीन-2” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में उपजिलाधिकारी सदर व जिला पूर्ति निरीक्षक सदर की अध्यक्षता में क्षेत्राधिकारी सदर व थाना प्रभारी गागलहेडी श्री प्रवेश कुमार की मौजूदगी में आज दिनांक 29.12.2025 को मालगृह में रखे तीन अभियोगों से सम्बन्धित कुल 33 घरेलू सिलेन्डरों को माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यश भारत गैस ग्रामीण वितरण ऐजेन्सी कस्बा गागलहेडी के मालिक श्री योगेश कुमार व मैनेजर श्री अक्षय कुमार को सुपुर्द कर नियमानुसार माल निस्तारण कराया गया।

श्री योगेश कुमार उपरोक्त को अवगत कराया गया कि आवश्यकता पड़ने पर उपरोक्त माल को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने पर आप अविलम्ब माल को अपनी अभिरक्षा से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु उपलब्ध करायेगें।

घरेलू गैस सिलेन्डर को अभिरक्षा में दिये जाने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदय सहारनपुर।
2. श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर महोदय सहारनपुर।
3. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।
4. है0का0 91 अशोक कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 29.12.2025

सघन नाकाबंदी अभियान के दौरान बड़ी सफलता — थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा

01 शराब तस्क़र गिरफ्तार, 30 पक्वे देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वर्तमान परिस्थितियों एवं संभावित आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के दृष्टिगत आज दिनांक **29.12.2025** को समय **12:00 बजे से 14:00 बजे तक जनपद भर में एक सुदृढ़ नाकाबंदी एवं सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।** इस अभियान के अंतर्गत नगर क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र तथा अंतर्जनपदीय/अंतर्राज्यीय सीमाओं पर बैरियर लगाकर व्यापक स्तर पर चेकिंग की गई।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना मिर्जापुर श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक **29.12.2025** को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान **राजपुर पुल** के पास समय करीब **13:10 बजे** एक अभियुक्त **नरेश उर्फ छोटन पुत्र बनारसी निवासी ग्राम अलीपुर नौगांवा, थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर** अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से **30 पक्वे फ़ुटी देशी शराब (मार्का महबूबा)** बरामद हुए। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर **मु0अ0सं0 307/25 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम** पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नरेश उर्फ छोटन पुत्र बनारसी निवासी ग्राम अलीपुर नौगांवा थाना मिर्जापुर सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

30 पक्वे फ़ुटी देशी मार्का महबूबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री सजय कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. हे0का0 32 गौरव भाटी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. का0 1879 अमित कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।